अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामेश्वर पुत्र भूरा वगैरह ..... **बनाम** भूरा (मृतक)1/1 रूकमा वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.115सन.2022(दूदू)

	2022/115 श्री दीपक पारीक एड श्री शिव प्रकाश चौधरी एड–4	
27.06.2022	**रागेश्वर बनाम भूरा वगैरह (115/2022)** पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 04) को दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वर्तमान अपीलांटस/वादीगण द्वारा एक वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी, दूदू (तत्पश्चात पत्रावली सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष स्थानान्तरिम हुई) के समक्ष पेश किया एवं वाद पत्र के साथ धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 27.04.2022 को उनके द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.08.2012 खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर गौर नहीं किया गया कि अपीलांटस का भी विवादित आराजी में हक व हिस्सा निहित है, अपने नाम गलत इन्द्राजात का नाजायज लाभ उठाते हुए भूरा द्वारा विवादित आराजी का बेचान किया है जो कतई न्यायोचित व न्याय संगत नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर गौर किए बिना आक्षेपित आदेश पारित पूर्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किए जाने में गंभीर त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी पूर्व में श्योनाथ के नाम आई है। जिसका विरासत से आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी पर हिस्से अनुसार काबिज होकर लगान सरकार अदा करते आ रहे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 418 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्से बाबत् भूरा पुत्र श्योनाथ ने एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2010 को एक इकरारनामा रविन्द्रसिंह के हक में तथा दिनांक 11.03.2011 को एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती कुसुम देवी के हक में निष्पादित किया है इस प्रकार विवादित आराजी का कई बार बेचान हुआ है। जिस पर अंतिम क्रेता कुसुम देवी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी आई.पी.सी.का उपराध, बखूबी साबित पाया गया। इस प्रकार भूरा द्वारा करवाए गए विक्रय पत्र पूर्णतया संदिग्ध रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अक्षिता मोरानी ने विवादग्रस्त आराजीयात का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया है तथा अपील के विचाराधीन रहते हुए नामान्तकरण भी अपने नाम करवा लिया है और आराजी को आगे से आगे रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी का आगे से आगे बेचान कर दिया गया तो अपीलांटस का वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं अपीलांट और पेचीदीगियों मे उलझ जायेगी तथा वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। मान्नीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेकानेक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते वाद की विषय वस्तुत को सुरक्षित रखा जाना चाहिए एवं वाद की विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का कर्तव्य भी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामेश्वर पुत्र भूरा वगैरह ..... **बनाम** भूरा (मृतक)1/1 रुकमा वगैरह

किस्म मुकदमा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम . नम्बर.115सन.2022(दूदू)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 की पालना व प्रभाव व क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित की जाकर अप्रार्थी को पाबंद फरमाया जावें कि वे प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न नहीं करे, विवादित आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे व आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत आदेश न्यायहित में पारित फरमावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.डी. 1993 पेज 206, आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1272, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 295, आर.आर. टी. 2018(2) पेज 1370, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 491, आर.वी.जे. 2020 पेज 82 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 01 भूरा को आवंटित हुई थी। विवादित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति थी। अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विवादित आराजीयात को उचित प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 30.06.2010 को अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के पक्ष में विक्रय पत्र किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 जो कि सद्भावी क्रेता है। स्वअर्जित सम्पति होने से अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति थी। स्वअर्जित सम्पति होने से अप्रार्थी संख्या 01 को उसे बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। विवादित आराजी बाबत् हक–हकूको का विनिश्चत भी मूल वाद में निर्धारित होगा है। विवादित आराजी वर्तमान में क्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है, इसलिए रेस्पोडेन्टस को किसी प्रकार से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाये जाने से स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 27.04.2022 द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29.08.2012 को खारिज किया गया है तथा प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.04.2022 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम(अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामेश्वर पुत्र भूरा वगैरह ..... बनाम भूरा (मृतक)1/1 रूकमा वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.115सन.2022(दूदू)

राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूद के आदेश दिनांक 27.04.2022 एवं प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की उभयपक्षकारान यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी(शून्य)माना जायेगा। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर